PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

लिस उपायुक्त (मुख्यालय)
आयुक्तालय, जयपुर

क्रमांकः– न–5(3)पु0आ0ज0/फोर्स/नियु0/2017/13929 दिनांक 18.12.2017

विज्ञप्ति

वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राज., जयपुर के पत्र क्रमांक : प–4(35) गृह–1/2016 दिनांक 23.06.2017 एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान के पत्र क्रमांक न–5(2) पुलिस–फोर्स/च.श्रे.क./2016/4286 दिनांक 03.11.17 की पालना में पुलिस आयुक्तालय जयपुर में निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जानी प्रस्तावित हैः–

क्र. स.	पद नाम	रिक्त पद	पे–मैट्रिक्स	आरक्षण श्रेणी
1	कुक (लांगरी)	08	L-3	सामान्य–04, एससी–03, एसटी–01
2	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	04	L-1	सामान्य– 4

1. राष्ट्रीयताः– आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के नियम–11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अहर्त्ता प्राप्त हो।
2. आरक्षण एवं आयु सीमा :– उक्त पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भ.पू. सैनिक/अ.ज.जा/अ.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण देय होगा एवं तत्संबंधी प्रावधानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।
3. न्युनतम शैक्षणिक योग्यता

क्र.स.	पद नाम	न्युनतम शैक्षणिक योग्यता	वांन्छित अनुभव
1	कुक (लांगरी)	किसी मान्यता प्राप्त स्कुल से कक्षा 5 वी उत्तीर्ण	खाना बनाने में दक्षता एवं अनुभव
2	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	किसी मान्यता प्राप्त स्कुल से कक्षा 5 वी उत्तीर्ण	साफ–सफाई करने में दक्षता एवं अनुभव

4. चरित्रः– आवेदक अपने चरित्र के सम्बंध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो उसके रिश्तेदार नही हो) के दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह पूर्व से अधिक समय का नही हो। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा की उन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नही किया गया हो एवं उसके विरूद्व किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नही हों ओर यदि आवेदक के विरूद्व कोई दण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित हो तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अकिंत करना होगा। आवेदक उक्त शपथ पत्र अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा।
5. शारीरिक दक्षताः– आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दोष नही होना चाहिए जो उसके इस त्तसम्बन्धि पद के रूप में अपने कर्तव्यो का दक्षता पूर्वक पालन करने में वाधक हो ओर आवेदक को इस पद के लिये चयन होने पर सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कोई अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके सेवामें नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा परन्तु जहा किसी ही सन्तान हैं किन्तु पश्चातवृति किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान पैदा होती है तो सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव में पैदा हुई सन्तानों को एक ही इकाई माना जायेगा।

7. विवाह पंजीयनः— राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प—7(3)/कार्मिक/क—2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन—पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जायेगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होन की स्थिति में उसे आवेदन—पत्र के संलग्न प्रारूप में 50/—रूपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ—पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. वेतनमान/पेंशनः— राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ—15(7)एफ.डी.(रूल्स)97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ—12 (एफ.डी.) (रूल्स) दिनांक13. 03.2006 एव दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) पद पर नियुक्ति के उपरांत 02 वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के लिए प्रोवेशनर के रूप में कुक को 12800/— व स्वीपर को 12400/— रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात स्थाईकरण के बाद नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की वेतन श्रृंखला में वेतन व नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना देय होगी तथा नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेंडेंट रूल्स, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, स्थाई पारितोषण एवं अन्य तत्सम्बन्धी सभी नियम लागू होंगे।

9. आवेदन—पत्र :— आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन—पत्र सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा अंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन—पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 12 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण—पत्रों की सत्य प्रतिलिपि व शपथ—पत्र आदि संलग्न करने होगे। आवेदन—पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें। इसके अलावा आवेदन—पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होगे।

10 .आवेदन—पत्र की अंतिम तिथिः— इच्छुक अभ्यर्थी उपर्युक्तानुसार आवेदन—पत्र एवं प्रमाण—पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां सहित दिनांक 30.12.17 को सायकाल 06:00 बजे तक इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या ड़ाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन—पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

11. साक्षात्कारः— अंतिम तिथि को निर्धारित समय तक प्राप्त सही आवेदन—पत्रो के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले योग्य आवेदकों की सूची दिनांक 05.01.2018 को प्रातः 11 बजे तक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगीः जो कार्यालय समय में देखी जा सकती है। इन योग्य आवेदकों का साक्षात्कार नोटिस बोर्ड पर चस्पा उक्त सूची के अनुसार दिनांक 07.01.18 को प्रातः 11:00 बजे से पुलिस आयुक्तालय गर्वेन्मेन्ट हॉस्टल एम आई रोड़ जयपुर के कार्यालय में आयोजित किय जावेगा जिसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जायेगी तथा इस साक्षात्कार हेतु किसी आवेदक को कोई यात्रा—भत्ता आदि देय नहीं होगा।

12. आवेदन—पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की प्रतिलिपियां व शपथ—पत्र संलग्न किये जावेंगें:—

1 जन्म तिथि संबंधी प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि,

2 शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि,

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

तिलिपि,
पित प्रतिलिपि,
दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार न हो) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र,

6. दोषसिद्वि नहीं होने आदि के बारे मे शपथ–पत्र,
7 संतान संबंधी घोषणा पत्र,
8 विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा आवेदन–पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र,
9. दहेज न लेने बाबत शपथ–पत्र,
10 एक से अधिक पति/पत्नी न होने बाबत शपथ–पत्र,
11 आवेदक का जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

नोटः– उपर्युक्त सभी प्रलेख, प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र इत्यादि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन–पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगें।

13 अन्य :–

1. आवेदक के द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत अन्य प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां,यदि कोई हो तो आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
2. अविवाहित आवेदकों के द्वारा भी भविष्य में दहेज नही लेने के संबध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा
3. ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी।
4. ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेखों,सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोगों में लायें जाने का दोषी घोषित किया गया है, वो इस नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक को प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोटः–

1. आवेदक के द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
2. निर्धारित प्रफॅार्मा में अपूर्णता से प्राप्त आवेदन–पत्रो को निरस्त समझा जावेगा, असत्य तथ्यों व कूटरचित दस्तावेजात् के संबंध में संबंधित आवेदक कानूनी रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. उक्त विज्ञप्ति संबधी आवेदन–पत्र प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

सद्‌भावी

(गौरव श्रीवास्तव)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर।

Tel.: +91-141-2362081Fax: +91-141-2362080E-Mail: dcp.hq.jaipur@rajpolice.gov.in

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राज0 जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
6. समस्त कमाण्डेनट, आर.ए.सी. बटालियन मय (आई.आर.)/एम.बी.सी. एवं हाडीरानी महिला बटालियन।
7. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस लाईन जयपुर।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञप्ति राज्य स्तरीय कम से कम एक समाचार–पत्र एवं स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
9. सहायक निदेशक/नियोजन अधिकारी, रोजगाार, रोजगार कार्यालय, जयपुर।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर।

Tel.: +91-141-2362081Fax: +91-141-2362080E-Mail: dcp.hq.jaipur@rajpolice.gov.in

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tel.: +91-141-2362081Fax: +91-141-2362080E-Mail: dcp.hq.jaipur@rajpolice.gov.in